ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

जिलाधिकारी
आजमगढ़।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल
मा0नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
प्रमुख बेंच, नई दिल्ली।

संख्या 115 /एल0बी0सी0-एन0जी0टी0 दिनांकः- 02 मई,2024

विषयः- **मा0राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0नं0 42/2024 मदासिर हसन व अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0नं0 42/2024 मदासिर हसन व अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 के समादर में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) आजमगढ़ की अध्यक्षता में सम्बन्धित अधिकारियों यथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़, उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0जल निगम नगरीय आजमगढ़ की संयुक्त टीम से स्थलीय जॉच करायी गयी। उक्त अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्थलीय जॉच आख्या के अनुसार नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के जालन्धरी मोहल्ला में चिन्हित घरों के पानी के उत्प्रवाह को बन्द करने के लिए कार्यवाही की गयी है और पानी के उत्प्रवाह को डायवर्ट कर मुख्य नाले में प्रवाहित करने हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसपर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में 8 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एवं 22 कि.मी. सीवर लाइन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसका 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। इस प्रकार नगर क्षेत्र आजमगढ़ में गन्दे पानी से होने वाले प्रदूषण के उपचार हेतु उपरोक्तानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की गयी है।

अतः मा0राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.03.2024 के समादर में जॉच समिति की स्थलीय जॉच आख्या दिनांक 09.04.2024, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ का अभिमत दिनांक 23.04.2024 तथा उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की आख्या दिनांक 27.04.2024 एवं अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम नगरीय आजमगढ़ की आख्या दिनांक 01.05.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विशाल भारद्वाज)
जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

दूरभाष / मो0- 9473942707
E-Mail- ee 2cd azamgarh@yahoo.in

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
मेहता लाइब्रेरी भवन, सिविल लाइन्स, आजमगढ़।

पत्रांक 405 / कार्य-20 / 33 दिनांक 01-05-2024

सेवा मे,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
आजमगढ़।

विषय:- ग्राम/मुहल्ला जालंधरी, आजमगढ़ क्षेत्र की बसावट की जमीन नीची होने के कारण क्षेत्र में घरेलू अपशिष्ट जल इकट्ठा होने के कारण प्रदूषण एवं जन सामान्य स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 91/एल0बी0सी0 दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ द्वारा दिये गये अभिमत के बिन्दु संख्या-2 की आख्या निम्नवत है:-

बिन्दु संख्या	आख्या
जल निगम द्वारा सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए गड़ही में मिलने वाली नालियों को सीवर लाइन से जोड़ कर सीवर लाइन को अविलम्ब सुचारु रुप से संचालित कर घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (STP) की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र करते हुए शोधन के उपरान्त ही शोधित उत्प्रवाह को निस्तारित किया जाये।	नगर पालिका क्षेत्र में 8 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एवं 22 किमी0 सीवर लाइन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जालन्धरी मोहल्ले के लगभग 70 घरों का पानी गड़ही में गिरता है। जालन्धरी मोहल्ले में सीवर लाइन डालकर लगभग 40 घरों के सीवेज को सीवर लाइन से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, शेष घरों में सेप्टिक टैंक बना है, जिसका सीवेज निकालकर फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (FSTP) पर लेजाकर शोधित कर निस्तारित किया जा रहा है। सीवर योजना का कार्य लगभग 85 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कराते हुए क्रियाशील करा दिया जायेगा।

भवदीय

(मनोज कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे

1. जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्र संख्या – 175 / 2024 न0पा0परि0(2024–25) दिनांक– 27/04/2024

सेवा में,

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0) /
प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय
आजमगढ़ ।

विषय–:–मोहल्ला जालन्धरी स्थित गढ़ही में एकत्रित जल –जमाव के उचित निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्र संख्या 91 / एल0बी0सी0 दिनांक 25.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें। प्राप्त पत्र के द्वारा उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 10.04.2024 द्वारा UPPCB के अधिकारियों का अभिमत प्राप्त प्रस्तुत किये जाने निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र सं0 –69 / ओ0ए0नं0 –42 / 2024 / 2024–25 दिनांक 23.04.2024 द्वारा प्रकरण में निम्नवत चार बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके परिपेक्ष्य में प्राप्त निर्देशानुसार बिन्दु संख्या 1,3 एवं 4 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही बिन्दुवार निम्नवत प्रस्तुत है:–

क0सं0	निर्देश	कृत कार्यवाही
1	1. नगर पालिका परिषद द्वारा गड़ही में जाने वाली नालियों को गड़ही में मिलने से पूर्व डाइवर्ट करके बड़े नाले में जो आबादी के बाहर निकलता है में जोड़ा जाये।	मोहल्ला जालन्धरी स्थित गढ़ही आबादी के मध्य स्थित है जिसमें कुल 3 छोटे / बड़े नालियों का पानी उक्त गढ़ही में जा रहा है साथ ही गढ़ही से सटे घरों का पानी सीधे गड़ही में जा रहा है। गढ़ही कालोनी के रास्ते / गलियों से 5–6 फीट डाउन में स्थित है एवं रास्ते / गलियों के बीच जल निगम द्वारा सीवर लाइन पाईप डाली गयी है। रास्ते / गलियों के किनारे पर नालियां बनी हुई जिससे आमजनों के घरो की जल निकासी हो रही है। गढ़ही को जल जमाव से बचाने हेतु जो नालियां गढ़ही तक जाती है। उसे मुख्य नाले में परिवर्तित कर गढ़ही में होने वाले जल–जमाव को कम किया जा सकता है। इस हेतु कमशः 1–मुहल्ला जालन्धरी में इरशाद कुरैशी के घर से कलीम सिलाई मशीन तक नाली निर्माण कार्य 2.80 लाख । 2–मुहल्ला जालन्धरी में बाबा के मजार से अकरम के घर होते हुये मेन रोड मन्दिर तक नाली निर्माण कार्य 9.89 लाख । 3. मुहल्ला जालन्धरी में पप्पु अग्रवाल के घर से दुबे जी का घर होते हुये मेन रोड तक नाली निर्माण का कार्य 8.23 लाख इस प्रकार कुल धनराशि 20.92 लाख का आगणन तैयार किया गया है। जिसकी कार्ययोजना आदर्श आचार संहिता के उपरान्त स्वीकृत / निविदा प्रकिया पूर्ण कराकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करा दिया जायेगा जिससे गढ़ही में होने वाले जल –जमाव को कम किया जा सकता है।
2	3.स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम / मुहल्ला –जालन्धरी जनपद आजमगढ़ के जनमानस को गड़ही में घरेलु उत्प्रवाह को निस्तारित करनें से रोक जाये।	पालिका प्रशासन के द्वारा मोहल्ला जालन्धरी स्थित गढ़ही के पास स्थित ऐसे भवन स्वामी जिनके घरों से अपशिष्ट जल गढ़ही में गिरता है उन्हे चिन्हित कर नोटिस तामील करा दिया गया है।
3	4.गड़ही में एकत्रित प्रदुषित घरेलू उत्प्रवाह का Bio-Remidiation का कार्य नगर पालिका द्वारा किये जाये जिससे Rejuvenation सम्भव हो सके तथा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 06.03.2024 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो सके।	मोहल्ला जालन्धरी स्थित गढ़ही में एकत्रित प्रदुषित घरेलु उत्प्रवाह हेतु नगर पालिका के द्वारा दिनांक 08.04.2024 से बायोरेमिडिएशन का कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करनें का कष्ट करें।

भवदीय

उपजिलाधिकारी /
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़
27.04.24

41

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम- मुहल्ला जालन्धरी में इरशाद कुरैशी के घर से कलीम सिलाई मशीन तक नाली निर्माण कार्य।

Sl. No.		Item of Work	Amount (in Lac)
1		2	3
	1	Cost of as per Bill of Quantity	2.37
		Total (1+2)	**2.37**
	2	IGST/GST @ 18%	0.43
		Total Rs.	**2.80**

JE
NPP
Azamgarh

37

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम-मुहल्ला जालन्धरी में बाबा के मजार से अकरम के घर होते हुए मेन रोड़ मन्दिर तक नाली निर्माण कार्य।

Sl. No.		Item of Work	Amount (in Lac)
1		2	3
	1	Cost of as per Bill of Quantity	8.38
		Total (1+2)	**8.38**
	2	IGST/GST @ 18%	1.51
		Total Rs.	**9.89**

JE
NPP
Azamgarh

33

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम- मुहल्ला जालन्धरी में पप्पू अग्रवाल के घर से दूबे जी का घर होते हुए मेन रोड़ तक नाली निर्माण कार्य।

Sl. No.		Item of Work	Amount (in Lac)
1		2	3
	1	Cost of as per Bill of Quantity	6.97
		Total (1+2)	**6.97**
	2	IGST/GST @ 18%	1.25
		Total Rs.	**8.23**

JE
NPP
Azamgarh

कार्यालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांकः- 01 .ू०पा०प०आ० /2024-25 दिनांकः- 25/04/24

नोटिस/सूचना

श्री करीम

जालन्धरी

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे बसे हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अमन मो. 8318140152

कार्यालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांकः- 82 /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांकः- 25/4/24

नोटिस/सूचना

श्री हरिश्चन्द्र ....

मु0 चकलाना.......

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे बसे हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

प्राप्त किया। 8840599744

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांकः- 03 /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांकः- 25/11/24

नोटिस/सूचना

श्री ....

....

मु0 ....

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे बसे हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

Mahtab Alam
9695087704

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कायालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांक:- 04 /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांक:- 25/4/24

नोटिस/सूचना

श्री अब्दुल ... हाशमी
मु0 जालंधरी

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिपोंट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे बसे हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

...
नं. 98

कार्यालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांक:- 05 /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांक:- 25/7/24

नोटिस/सूचना

श्री ....

....

....

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे बसे हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

8577989282

कार्यालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांक:- 06 /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांक:-

नोटिस/सूचना

श्री ....

....

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे बसे हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

मो0 8858977714

नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

पत्रांक:- 07 /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांक:- 25/5/24

नोटिस/सूचना

श्री नोमान S/O जलीमदीन

[illegible]

मु0 [illegible]

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे बसे हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

Noushe
मो. 9451511290

कार्यालय नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

पत्रांकः-08 /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांकः- 25/4/24

नोटिस/सूचना

श्री. सलमान..अमर

....

मु. पान-धरी....

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे बसे हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

४

सलमान

कार्यालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांक:- ... /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांक:- 25/4/24

नोटिस/सूचना

श्री .... जनसेवा/कर्मचारी
....
....

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे बसे हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

जमिर - अंसारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांकः- 10 /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांकः- 2.5.11.24

24

नोटिस/सूचना

श्री सदरुद्दीन S/o अब्दुल वहाब

मु:(जालंधरी)

नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला जालंधरी स्थित गढ़ही में स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उक्त गढ़ही में प्रवाहित किये जाने के कारण प्रदूषण एवं जनसामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा गढ़ही के किनारे रहने वाले हुए जनमानस को गढ़ही में घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट को डाले जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल उत्प्रवाह को गढ़ही में न डालें। तथा ठोस अपशिष्ट को डोर-टू-डोर कलेक्शन (पालिका के कूड़ा गाड़ियों) में ही डालें। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के रूप में 500/- प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपरोक्तानुसार भवन स्वामी की होगी, अवगत हों।

उप जिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

मो. 8896781810

(19)

प्रदूषण रोकिए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण बचाइए ।।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref-63/ओ० ए० नं०-42/2024/2024-25

दिनांक/Date 23/04/2024

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
आजमगढ़।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 06.03.2024 के क्रम में गठित कमेटी की जांच आख्या दिनांक 09.04.2024 के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का चाहा गया अभिमत।

याची श्री मुदस्सर हुसैन, ग्राम/मुहल्ला–जालन्धरी, जनपद–आजमगढ़ द्वारा शिकायत की गयी है कि ग्राम/मु0–जालन्धरी, आजमगढ़ क्षेत्र की बसावट की जमीन नीची होने के कारण क्षेत्र में घरेलू अपशिष्ट जल आदि इकट्ठा होने के कारण प्रदूषण एवं जन सामान्य का स्वास्थय प्रभावित हो रहा है।

उक्त प्रकरण में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल अप्लिकेशन नं0–42/2024, मुदस्सर हुसैन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.03.2024 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके बिन्दु सं0–2 व 3 निम्नानुसार है–

प्र० 23/4/24

"2. In our view, the complaint made in the present Original Application, at the first instance, can be looked into by concerned authorities at District level and therefore, we direct State PCB and District Magistrate Azamgarh to jointly inspect the area, collect relevant information and take appropriate action for remediation and rejuvenation so that alleged pollution may be removed. Appropriate action shall be taken by said Committee with two months.
3. District Magistrate, Azamgarh shall be the nodal agency for coordination and compliance."

उक्त आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ के पत्र सं0–5590/ ओ0एस0डी0–66/2024 दिनांक 15.03.2024 तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), आजमगढ़ के पत्र सं0–20/एल0बी0सी0 दिनांक 15.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 09.04.2024 को कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित आख्या प्रेषित की गयी थी। आख्या के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), आजमगढ़ के पत्र सं0–74/एल0बी0सी0 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से पुनः उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के क्रम में अभिमत निम्नवत् है–

1. नगर पालिका परिषद द्वारा गड़ही में जाने वाली नालियों को गड़ही में मिलने से पूर्व डाइवर्ट करके बड़े नाले में जो आबादी के बाहर निकलता है में जोड़ा जाये।
2. जल निगम द्वारा सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए गड़ही में मिलने वाली नालियों को सीवर लाइन से जोड़ कर सीवर लाइन को अविलम्ब सुचारु रुप से संचालित कर घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (STP) की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र करते हुए शोधन के उपरान्त ही शोधित उत्प्रवाह को निस्तारित किया जाये।
3. स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम/मुहल्ला–जालन्धरी जनपद आजमगढ़ के जन मानस को गड़ही में घरेलू उत्पवाह को निस्तारित करने से रोका जाये।
4. गड़ही में एकत्रित प्रदूषित घरेलू उत्प्रवाह का Bio Remidation का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाये जिससे Rejuvenation सम्भव हो सके तथा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 06.03.2024 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

23/4/2024
(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
23/4/24
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आजमगढ़

मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 06.03.2024 के क्रम में गठित कमेटी की जांच आख्या।

याची श्री मुदस्सर हुसैन, ग्राम/मुहल्ला–जालन्धरी, जनपद–आजमगढ़ द्वारा शिकायत की गयी है कि ग्राम/मु0–जालन्धरी, आजमगढ़ क्षेत्र की बसावट की जमीन नीची होने के कारण क्षेत्र में घरेलू अपशिष्ट जल आदि इकट्ठा होने के कारण प्रदूषण एवं जन सामान्य का स्वास्थय प्रभावित हो रहा है।

प्रकरण में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल अप्लिकेशन नं0–42/2024 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.03.2024 को आदेश पारित किये गये है, जिसके बिन्दु सं0–2 व 3 निम्नानुसार है–

"2. In our view, the complaint made in the present Original Application, at the first instance, can be looked into by concerned authorities at District level and therefore, we direct State PCB and District Magistrate Azamgarh to jointly inspect the area, collect relevant information and take appropriate action for remediation and rejuvenation so that alleged pollution may be removed. Appropriate action shall be taken by said Committee with two months.

3. District Magistrate, Azamgarh shall be the nodal agency for coordination and compliance."

उक्त आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ के पत्र सं0–5590/ओ0एस0डी0–66/2024 दिनांक 15.03.2024 तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), आजमगढ़ के पत्र सं0–20/एल0बी0सी0 दिनांक 15.03.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 16.03.2024 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्थानीय निवासी श्री हसीन अहमद आजमी, मो0 सदरुद्दीन तथा क्षेत्रीय सभासद श्री महताब कुरैशी उपस्थित थे। याची उपस्थित नहीं थे। आख्या निम्नवत् है–

ग्राम/मुहल्ला–जालन्धरी की आबादी के मध्य एक गड़ही स्थित है। राजस्व विभाग के अनुसार गड़ही का गाटा सं0–355, क्षेत्रफल कुल 212 एयर है। जालन्धरी के निवासियों के घर से निकले वाला घरेलू उत्प्रवाह गड़ही में जाता है। तथा गड़ही में किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है।

उक्त शिकायत के क्रम मे नगर पालिका परिषद आजमगढ से मत प्राप्त किया गया उनके अनुसार "मुहल्ला जालन्धारी स्थित गढ़ही का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि गढ़ही आबादी के मध्य स्थित है। जिसमे कुल 03 छोटे/बड़े नालियों का पानी उक्त गढ़ही में जा रहा है साथ ही साथ गढ़ही से सटे घरों का पानी सीधे गढ़ही में जा रहा है। गढ़ही कालोनी के रास्ते/गलियों से 5–6 फीट डाउन में स्थित है एवं रास्ते/गलियों के बीच जल निगम द्वारा सीवर पाईप लाइन डाली गयी है। रास्ते/गलियों के किनारे पर नालियां बनी हुई हैं जिससे आमजनों के घरों की जल निकासी हो रही है। गढ़ही को जल जमाव से बचाने हेतु जो नालियां गढ़ही तक जाती है। उसे मुख्य नाले की तरफ परिवर्तित कर गढ़ही में होने वाले जल–जमाव को कम किया जा सकता है। इस हेतु क्रमशः 1–मुहल्ला जालन्धरी में इरशाद कुरैशी के घर से कलीम सिलाई मशीन तक नाली निर्माण कार्य 2.80 लाख। 2–मुहल्ला जालन्धरी में बाबा के मजार से अकरम के

घर होते हुए मेन रोड मन्दिर तक नाली निर्माण कार्य 9.89 लाख। 3–मुहल्ला जालन्धरी में पप्पू अग्रवाल के घर से दूबे जी का घर होते हुए मेन रोड तक नाली निर्माण का कार्य 8.23 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रूपया 20.92 लाख का आगणन तैयार किया गया है जिसकी कार्ययोजना आदर्श आचार संहिता के उपरान्त स्वीकृत/निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करा दिया जायेगा, जिससे गढ़ही में होने वाले जल–जमाव को कम किया जा सकता है। (फोटोग्राफ संलग्न) गढ़ही में दिनांकः 08.04.2024 से बायोरेमिडेशन का कार्य भी कराया जा रहा है। फोटोग्राफ्स निम्नवत है–

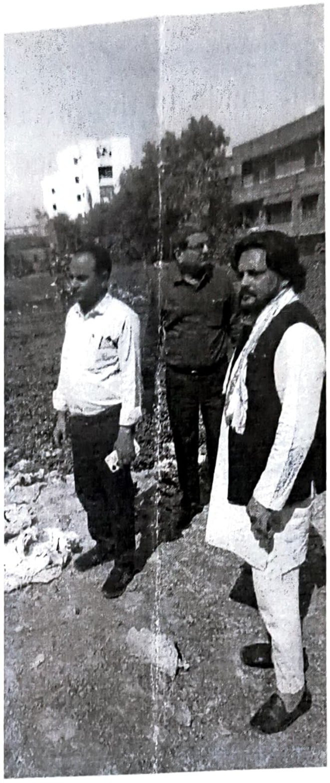
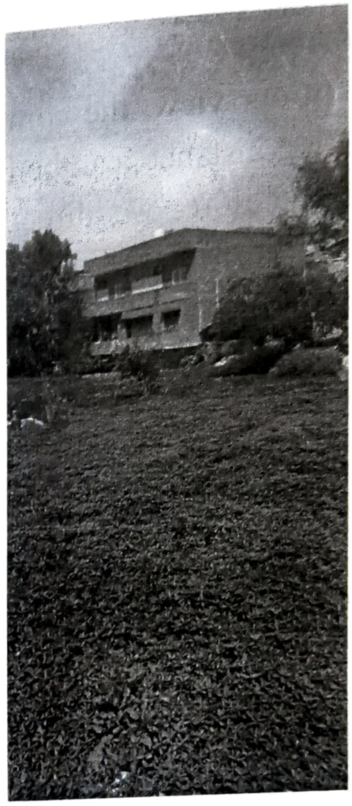

उपरोक्त आख्या आपको अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आजमगढ़

(रोहित कुमार यादव)
उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
आजमगढ़

जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय
प्राप्ति दिनांक-14-03-24
समय-04:56 PM.

1

Item No. 02 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 42/2024

Madasir Hasan and Ors. Applicant(s)

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 06.03.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

ORDER

1. This Original Application under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **'NGT Act, 2010'**) has been registered exercising *suo-moto* jurisdiction of newspaper report sent by Muddasar Hasan complaining that at Village Jalandhari, District Azamgarh, there is a low lying area wherein domestic sewage is collected and due to overflow it enters residence of local people causing lot of pollution and health hazards to them and no action has been taken by concerned authorities in the matter.

2. In our view, the compliant made in the present Original Application, at the first instance, can be looked into by concerned authorities at District level and therefore, we direct State PCB and District Magistrate, Azamgarh to jointly inspect the area, collect relevant information and take appropriate action for remediation and rejuvenation so that alleged pollution may be removed. Appropriate action shall be taken by said Committee within two months.

(7)
5590/OSD
ADM(F/R)

3. District Magistrate, Azamgarh shall be the nodal agency for coordination and compliance.

4. A compliance report shall be submitted to Registrar General of this Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, who if find necessary, may place the matter before Tribunal for further orders.

5. With the above direction, this application is disposed of.

6. A copy of this order be forwarded to State PCB and District Magistrate, Azamgarh by e-mail for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

March 06, 2024
Original Application No. 42/2024
SN